

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-74/2026 दिनांक 15.03.2026)
***दिनांक-15.03.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

अन्तर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, बोलेरो वाहन से तस्करी कर बिहार राज्य हेतु ले जायी जा रही 24 बण्डल रायल स्टेग अग्रेजी शराब, 24 पेटी मे फ्रूटी आफिसर च्वाइस अग्रेजी शराब व 14 वण्डल में किंग फिशर बियर (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 15 लाख रू0) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिध्दार्थ वर्मा के पर्वेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जयंत यादव के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/ निष्कर्षण/ परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2026 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान काजीपुर कट के पास से एक बोलेरो मुर्गा गाड़ी रजि0नं0 BR06Q3832 से 24 बण्डल मे कुल 144 बोतल रायल स्टेग प्रत्येक 750 एमएल अग्रेजी शराब, 24 पेटी मे 1152 पीस फ्रूटी आफिसर च्वाइस प्रत्येक 180 एमएल अग्रेजी शराब व 14 वण्डल मे 168 पीस किंग फिशर बियर प्रत्येक 500 एमएल0 बिहार हेतु तस्करी कर ले जायी जा रही भिन्न-भिन्न ब्राण्ड शराब के साथ एक नफर अभियुक्त 1.राजकिशोर कुमार पुत्र श्री शिवमंगल यादव निवासी राजापुर थाना कोटवा जिला मोतिहारी बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 55/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त बताया कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के कारण वहाँ शराब आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। इस वजह से लोगों में शराब की मांग बहुत अधिक रहती है, जिसके चलते तस्करी करने से कम समय में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा क्षेत्र में पुलिस द्वारा शराब तस्करी की सघन चेकिंग की जाती है। इसलिए तस्कर विभिन्न तरीकों से शराब को छिपाकर परिवहन करते हैं। अभियुक्त ने बताया कि वे मुर्गा ले जाने वाली बोलेरो गाड़ी



(जिसमें जालीदार हिस्सा होता है) का उपयोग करते हैं। शराब के पैकेट्स को मुर्गों के बीच में छिपाकर रखा जाता है, जिससे चेकिंग के दौरान संदेह कम होता है और गाड़ी को आसानी से पास होने दिया जाता है। अभियुक्त ने आगे बताया कि वे पहले से शराब धीरे-धीरे इकट्ठा करके स्टोर करते हैं और फिर मुर्गा गाड़ी से बिहार ले जाते हैं। बिहार में अपने गाँव या आसपास के क्षेत्रों में इसे अधिक कीमत पर बेचते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 55/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजकिशोर कुमार पुत्र श्री शिवमंगल यादव निवासी राजापुर थाना कोटवा जिला मोतिहारी बिहार

बरामदगी का विवरण:-(वाहन सहित कुल कीमत लगभग 15 लाख रू)

1-एक एक बोलेरो गाड़ी रजि0नं0 BR06Q3832

2-24 बण्डल मे कुल 144 बोतल रायल स्टेग प्रतेक 750 एमएल अग्रेजी शराब, 24 पेटी में 1152 पीस फ्रूटी आफिसर च्वाइस प्रतेक 180 एमएल अग्रेजी शराब व 14 वण्डल मे 168 पीस किंग फिशर बियर प्रेतक 500 एमएल0

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

2-उ0नि0 श्री मनोज वर्मा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

3-का0 धर्मेन्द्र चौहान थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

4-का0 मुलायम यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

5-का0 रितेश राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2026 को थाना बरवापट्टी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 033/2026 धारा 64 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सफरुद्दीन पुत्र असमत अली सा0 बीचपटवा थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 033/2026 धारा 64 बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सफरुद्दीन पुत्र असमत अली सा0 बीचपटवा थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 ब्रम्ह कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 गौतम प्रकाश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
4. का0 अखिलेश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2026 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 70/26 धारा 3(5)/103(1) बीएनएस से संबधित वांछित सुबाषचन्द पुत्र पल्लू निवासी बोदरवार हरिजन बस्ती थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 70/26 धारा 3(5)/103(1) बीएनएस थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार वांछित-

सुबाषचन्द पुत्र पल्लू निवासी बोदरवार हरिजन बस्ती थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1-एक अदद आला कल्ल डण्डा।
- 2-जामातलाशी से बरामद 210 रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर



- 2-उ0नि0 श्री शनि जावला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
3-हे0का0 अश्वनी राय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
4-का0 सन्तोष चौहान थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
5-का0 विमलेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
6-का0 विनोद शर्मा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 43 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-46 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-33, व्यक्ति-108
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-46)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

